न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 17/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/40

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
ग्राम पंचायत मेव, पंचायत समिति सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली जरीये संरपच घेवरराम पुत्र डुगाराम जाति बावरी निवासी बुटेलाव तहसील सोजत सिटी जिला पाली		आदुराम पुत्र स्वं. रामाराम जाति मेघवाल निवासी रामासनी सांदवान तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/12/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत मेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 5955 दिनांक 27.12.1974 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड तलबकिया गया, जिसके संबध में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने का पत्र प्राप्त। अप्रार्थी बावजुद नोटिस तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया किग्राम पंचायत रेपड़ावास (पूर्व) वर्तमान में ग्राम पंचायत मेव द्वारा अप्रार्थी के पिता स्वं. रामाराम जाति मेघवाल निवासी रामासनी तहसील पाली को अनुसूचित जाति व जनजाति, श्रमिक तथा कारीगरों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटित कर पट्टा संख्या 5955 जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में कोई मिसल तथा प्रस्ताव अंकित नहीं है तथा उक्त पट्टा ग्राम पंचायत ने गोचर भूमि में जारी किया है, जिसके खसरा संख्या 555 है। उक्त भूमि आज भी गोचर दर्ज है। गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान जैर निगरानी पट्टे की जानकारी प्राप्त हुई। उक्त भूखण्ड की पुश्त पर बने नक्शें में खसरा सख्या 492 अंकित है तथा उक्त खसरे की किस्म बारानी दोयम है, जिसके खातेदार आरम्भ से ही स्वं. गणपतसिंह के पूर्वज रहे है एवं उक्त भूमि कभी भी आबादी नहीं रही। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध है। अप्रार्थी के पक्ष में राज. पंचायती राज नियम, 1961 के तहत निःशुल्क जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी के पिता को 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया था जिसमें अंकित पडौस वर्तमान में मौके पर नहीं है। ग्राम पंचायत ने अपने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

क्षेत्राधिकार से परे जाकर गोचर भूमि का पट्टा जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की श्रवणंसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत मेव द्वारा अप्रार्थी के पिता रामाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 5955 दिनांक 27.12.1974 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी भूखण्डरामाराम को 150 वर्गगज क्षेत्रफल का अनुसूचित जाति एवं जनजाति, श्रमिक व कारीगरों को आबादी भूमि के तहत निःशुल्क आवंटित किया गया था।विकास अधिकारी सोजत की रिपोर्ट दिनांक 25.03.2019 के अनुसार ग्राम रामासनी सादंवान के खसरा नम्बर 488 गै.मु.आगौर, खसरा नम्बर 555, 834, 825, 770 गै.मु.गौचर में से अवैध अतिक्रमण झौपडे,: कच्चे, छपरे व बाडों को दिनांक 16.03.2019 को हटा दिया गया है। उक्त रिपोर्ट के संलग्न मौका फर्द अनुसार "पक्के आवासीय मकानों को अतिशीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था की हिदायत दी गयी एवं पक्के मकानों के भी गोचर एवं प्रतिबंन्धित भूमि ओरण में स्थित होने से कभी भी अग्रिम आदेशानुसार हटाये जाने की हिदायत दी गयी।" जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया गया तथा उक्त खसरे में बने विधिविरूद्ध पट्टे के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी प्रस्तुत की गयी।पत्रावली के संलग्न उपखण्ड अधिकारी सोजत की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2020 में अंकितानुसार ग्राम रामासनी सान्दवान में खसरा संख्या 555 किस्म गै.मु.गोचर में कुछ व्यक्तियों द्वारा पट्टे की प्रतियां प्रस्तुत की गई जो कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति, श्रमिक व कारीगरों के आबादी भूमि में निःशुल्क आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1974 में भू–खण्डों के पट्टे आवंटित किये गये थे। जिसमें जैर निगरानी पट्टे के साथ–साथ 28 लोगो का अतिक्रमण है उनमे से 16 लोगो के पक्के निर्माण है, जिनमें से 5 लोगो के पास पट्टे है, 12 व्यक्तियों द्वारा कच्चे निर्माण व बाडे बना कर अतिक्रमण किया हुआ था जिनका अतिक्रमण हटा दिया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत मेव की रिपोर्ट दिनांक 02.02.2022 के अनुसार खसरा नम्बर 555 में जारी 5 व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा जारी निःशुल्क पट्टे की सूची में क्रं.सं. 4 पर अप्रार्थी के पिता रामाराम पुत्र लालुराम निवासी रामासनी सादंवान का नाम अंकित है तथा उक्त पट्टे की पुश्त पर खसरा संख्या 492 अंकित है एवं तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट अनुसार जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 555 में स्थित है। ग्राम रामासनी सांदवान पटवार हल्का थरासनी तहसील सोजत की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के अनुसार खसरा संख्या 555 किस्म गै.मु.गोचर एवं खसरा संख्या 492 किस्म बारानी दोयम खातेदारी भूमि है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है परन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आबादी भूमि से अन्यत्र भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध होने से यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत पट्टा अनुसूचित जाति व जनजाति व श्रमिकव कारीगरों को आबादी भूमि के तहत निःशुल्क आवंटित किया गया, जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसी प्रकार 2023/RJJD/010979 टीकुराम गुर्जर बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है।" जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मेव द्वारा जारी पट्टा संख्या 5955 दिनांक 27.12.1974 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि ग्राम पंचायत को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली